

FIRST INFORMATION REPORT
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(Under Section 154 Cr.P.C)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला : पंचकूला, थाना : राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला, वर्ष : 2018, प्र०सु०रि०स० : 02
दिनांक : 21.05.2018
2. धारा : 7 भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988
3. (क) अपराध की घटना : 21.05.2018
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 21.05.2018 समय 10:15 पी०एम०।
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या : 10
4. सूचना का प्रकार : लिखित।
5. घटनास्थल : (क) थाना से दिशा एंव दूरी : पूर्व-दक्षिण दिशा में यमुनानगर करीब 110 किमी।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता :
नाम : श्री मुकेश।
पिता का नाम : श्री निर्मल सिंह।
राष्ट्रीयता : भारतीय।
व्यवसाय : सरकारी नौकरी।
पता : वासी मकान न० 952, फरकपुर (पुरानी आबादी), जिला यमुनानगर-135002, मोबाईल-9416000488.
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण : ए०एस०आई० बलिन्द्र सिंह, थाना फरकपुर, जिला यमुनानगर।
8. लिंग : पुरुष।
भाषा : हिन्दी।
9. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण : कोई देरी नहीं।
प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :- सेवा में, इंस्पैक्टर विजिलेंस, यमुनानगर। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं मुकेश S/o श्री निर्मल सिंह वासी, फरकपुर (पुरानी आबादी) यमुनानगर का रहने वाला हुं और मेरे खिलाफ मुकदमा न० 133 दिनांक 22.03.18 को धारा 332, 353, 186,

506 IPC थाना फरकपुर में दर्ज हुआ था, जिसकी तफतीश ASI बलिन्द्र सिंह कर रहा है और तफतीश के समय उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय यमुनानगर ने भी इस मुकदमा की तसदीक करके मुकदमा में मेरे खिलाफ लगाये गये आरोप सही न पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना फरकपुर में भेज रखी है और मेरी पत्नी श्रीमति संगीता ने भी एक दरखास्त बैंक आफ बड़ौदा अधिकारियों के खिलाफ थाना फरकपुर में दी हुई है जो यह शिकायत भी ASI बलिन्द्र सिंह के पास लम्बित है, जो मुकदमा व दरखास्त के सन्दर्भ में ASI बलिन्द्र सिंह थाना फरकपुर से मिला जिससे मैंने मुकदमा में Cancellation लिखने के लिये तथा मेरी पत्नी द्वारा दी गई दरखास्त पर कार्यवाही करने के लिये कहा तो ASI बलिन्द्र सिंह ने मुझे कहा कि कार्यवाही करने के लिये मुझसे— 20,000/- रु० बतौर रिश्वत मांग की जिससे मैंने कहा कि यह राशि तो बहुत ज्यादा है, कम कर ले तो ASI बलिन्द्र सिंह ने मुझे फिर कहा कि 10,000/- रु० बतौर रिश्वत लुंगा जो मैं ASI बलिन्द्र सिंह को यह राशि बतौर रिश्वत देना नहीं चाहता और यदि यह राशि बतौर रिश्वत नहीं दुंगा तो वह मेरी पत्नी द्वारा दी गई दरखास्त पर व मुकदमा में आगामी कार्यवाही नहीं करेगा। मैं ASI बलिन्द्र सिंह को यह 10000/- रु० बतौर रिश्वत देकर उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुं, के खिलाफ कार्यवाही की जायें। SD. Mukesh, मुकेश पुत्र श्री निर्मल सिंह, म०न०—९५२, फरकपुर (पुरानी आबादी) यमुनानगर—१३५००२ मोबाईल—९४१६०००४८८. कार्यवाही पुलिस :— आज मन निरीक्षक मय स्टाफ के कार्यालय हाजिर था। मुकेश S/o निर्मल सिंह r/o फर्क पुर, जिला यमुनानगर ने हाजिर कार्यालय आकर एक दरखास्त पेश की जो दरखास्त मजबून से सरेदस्त जुर्म 7 PC Act 1988, का पाया जाने पर तहरीर बराये कायमी मुकदमा बादस्त EHC दर्शन कुमार न० 369/YNR के थाना राज्य चौकसी ब्यूरों का रवाना किया गया। बाद कायमी मुकदमा न० से सूचित किया जाये। स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व मैजिस्ट्रेट साहब को भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मय ESI रामेश्वर ५८/KKR, ASI गुरदेव सिंह न० ८५५/YNR के बा सवारी गाड़ी सरकारी HR-६८-८१३० जिसका चालक सिपाही शीश कुमार के बराये कराने नियुक्त Duty मैजिस्ट्रेट व छाया गवाह रवाना कार्यालय उपायुक्त य०नगर का होता हुं। लैपटाप व किट बैग हमराह लिया गया। हालात बजरिया टेलिफोन अफसरान बाला को सूचित किये गये। अज: SVB YNR at 5.30 Pm. हस्ता: दीपक कुमार निरीक्षक SVB युनिट YNR, 21.05.18 अज थाना :— उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर ०२ दिनांक 21.05.2018 धारा ७ भ्रष्टाचार अधिनियम 1988, थाना राज्य चौकसी ब्यूरों, पंचकूला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट

साहब, जगाधरी की सेवा में व असल तहरीर मय नकल मिसल पुलिस अनुसंधान अधिकारी बर मौका बदस्त आरिन्दा EHC दर्शन कुमार न0 369/YNR के भिजावाई जा रही है व नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां उच्च अधिकारियों की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतू भिजावाई जायेगी।

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 10. | अनुसंधान अधिकारी :- | निरीक्षक दीपक कुमार न0 16/एच0ए0पी0, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र, यमुनानगर। |
| 11. | ईलाका मैजीस्ट्रेट :- | जगाधरी (यमुनानगर)। |
| 12. | बदस्त :- | EHC दर्शन कुमार न0 369/यमुनानगर। |

हस्ता :-

निरीक्षक, (सुरेश कुमार न0 191/HAP),
थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो,
सैकटर-17, पंचकूला।